

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
CHANDIGARH BRANCH OFFICE (CHBO)

Ref: CHBO/A 97003310

Dt: 13/May/2024

Subject: All India first application for Certification as per IS 302 : PART 2 : SEC 31:2009

CHBO has received an application from **MAA SHARDA INDUSTRIES** for grant of licence for use of BIS Standard Mark on the product Safety of household and similar electrical appliances: Part 2 Particular requirements, Section 31 Range Hoods- as per IS 302 : PART 2 : SEC 31:2009 under Normal Procedure for Grant of Licence.

As per the information obtained from BIS Website/ Intranet, Circulars of CMD's to ROs/ BOs the following is observed:

1. No BIS licence exists for the aforementioned product.
2. Marking fee not available for the product.
3. No approved testing facility (BIS Labs or OSL) is available for this product.

In the view of above, the application may be considered as All India first application for Certification for the above product.

CMD-III and all ROs/BOs/Labs are requested to send any information with respect to the above IS or any other information which may be helpful to process this application.

Talika

(Talika)
Scientist- C, CHBO

~~Sc. E & HEAD(CHBO)~~

Talika
13/05/2024

भारतीय मानक ब्यूरो
चंडीगढ़ शाखा कार्यालय (सीएचबीओ)

संदर्भ: सीएचबीओ/ए-97003310

दिनांक: 13/May/2024

विषय: आईएस 302 : भाग 2 : अनुभाग 31:2009 के अनुसार प्रमाणीकरण के लिए अखिल भारतीय स्तर पर पहला आवेदन सीएचबीओ को सामान्य प्रक्रिया के तहत आईएस 302 : भाग 2 : अनुभाग 31:2009 के अनुसार घरेलू और समान विद्युत उपकरणों की सुरक्षा: भाग 2 विशेष आवश्यकताएँ, अनुभाग 31 रेंज हुड्स पर बीआईएस मानक चिन्ह के उपयोग के लिए लाइसेंस देने के लिए माँ शारदा इंडस्ट्रीज से एक आवेदन प्राप्त हुआ है।

बीआईएस वेबसाइट/इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरओ/बीओ को सीएमडी के परिपत्रों में निम्नलिखित पाया गया है:

1. उपरोक्त उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है।
2. मार्किंग फीस के लिए समूहीकरण दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं।
3. इस उत्पाद के लिए कोई अनुमोदित परीक्षण सुविधा (बीआईएस लैब्स या ओएसएल) उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त के मद्देनजर, आवेदन को उपरोक्त उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए अखिल भारतीय स्तर पर पहला आवेदन माना जा सकता है।

सीएमडी-III और सभी आरओ/बीओ/लैब से अनुरोध है कि वे उपरोक्त आईएस या किसी अन्य जानकारी के संबंध में कोई भी जानकारी भेजें जो इस आवेदन को संसाधित करने में सहायक हो सकती है।

तालिका

(तालिका)

वैज्ञानिक- सी, सीएचबीओ

वैज्ञानिक- एफ एवं प्रमुख(सीएचबीओ) 13/5/2024